महेन्द्र बनाम हरली देवी वगै0
मु0नं0 183/2023
दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक –08.04.2025 को वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा ग्राम सूरजगढ जिला झुन्झुनू की सरहद में स्थित भुमि के ख.नं. 465 रकबा 2.34 है0, मे पक्षकारान को विभाजन प्रस्ताव दिनांक 13.05.2024 में अंकितानुसार अलग–अलग खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ को आदेशित किया जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो।

(सुमन देवी/आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्याः—183/2023
महेन्द्र बनाम हरली देवी वगै0
निर्णय दिनांकः— 08.04.2025

मूल वाद में (अंतिम) डिकी
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारीः— श्रीमती सुमन देवी II (आर.ए.एस.)

मु0नं0 183/2023
निर्णय दिनांकः— 08.04.2025

महेन्द्र बनाम हरली देवी वगै0

<u>दावा बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

वादी अधिवक्ता द्वारा इस वाद मे आज की तारीख 08.04.2025 को श्रीमती सुमन देवी II उपखंड अधिकारी सूरजगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डिकी दी जाती है कि—

"अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिकी किया जाता है कि वाके विवादित भूमि मौजा ग्राम सूरजगढ वाके मौजा ग्राम सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू में स्थित तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद वादीगण डिकी किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय एवं डिकी का भाग रहेगा। तहसीलदार सूरजगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल बरामद करे, रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे।"

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज दिनांक 08.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गयी।

(श्रीमती सुमन देवी II आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ